



Australian Government



myagedcare



होम केयर पैकेज (घरेलू देखभाल पैकेज) तक पहुँच कैसे प्राप्त करें

होम केयर पैकेज क्या होता है?

यह देखभाल और सेवाओं का एक समन्वित पैकेज है जो जितनी देर संभव हो सके आपको अपने स्वयं के घर में स्वतंत्र रूप से रहने में सहायता देता है।

आपका होम केयर प्रदाता आपकी आवश्यकताओं और आपके लक्ष्यों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरा करने वाली देखभाल और सेवाओं का चयन करने के लिए आपके साथ काम करेगा।

मैं होम केयर पैकेज कैसे प्राप्त करूँ?

यह आवश्यक है कि आपके पास एक एज्ड केयर एसेसमेंट (वयोवृद्ध देखभाल आकलन) हो और आप होम केयर पैकेज के लिए अनुमोदित हों। ऐसा करने के लिए, आपको My Aged Care से **1800 200 422** पर संपर्क करने की ज़रूरत है।

My Aged Care आपसे कुछ सवाल पूछेगा ताकि उन्हें आपकी आवश्यकताओं और वर्तमान स्थिति को समझने में सहायता मिल सके। इसके बाद वह किसी प्रशिक्षित एसेसर (आकलनकर्ता) द्वारा आपके घर आकर आमने-सामने का एसेसमेंट (आकलन) करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

देखभाल कैसे प्राप्त करें

यदि किसी भी चरण में आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप My Aged Care को **1800 200 422** पर फोन कर सकते/सकती हैं।

आप My Aged Care से यह भी पूछ सकते/सकती हैं कि किसी पक्षसमर्थक से सहायता कैसे लेनी है।

और अधिक जानकारी के लिए

www.myagedcare.gov.au देखें या **1800 200 422*** पर फोन करें

सोमवार से शुक्रवार – सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक

शनिवार – सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक

रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दौरान बंद

नेशनल रिले सेवा – और अधिक जानकारी के लिए **1800 555 660*** पर फोन करें

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा – **131 450** पर फोन करके **1800 200 422*** के लिए निवेदन करें

यदि आप वेटर्न (सेवानिवृत्त सैनिक) हैं या युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा/विधुर हैं तो आप सेवानिवृत्त सैनिकों के मामलों के विभाग (Department of Veterans' Affairs) की सेवाओं या कार्यक्रमों के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए My Aged Care से निवेदन करें।

**1800 नंबर पर लैंडलाइन से की जाने वाली कॉल्स मुफ्त हैं और आजकल अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई मोबाइल प्रदाता 1800 नंबरों पर मुफ्त कॉल्स प्रदान करते हैं। अपने मोबाइल फोन प्रदाता से इसकी जांच करें।*

यदि आप पंक्ति में हैं और आपको अभी अपना पैकेज नहीं चाहिए तो कृपया हमें बतायें।

आप पंक्ति में अपना स्थान नहीं खोएँगे: इस बात पर आधारित होते हुए कि आपको स्वीकृत कब किया गया था आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए यदि आप ऐसा करते/करती हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें सहायता की ज़रूरत अधिक शीघ्र है।

My Aged Care को **1800 200 422** पर फोन करें।

1. अपने आकलन का परिणाम प्राप्त करें

आपको My Aged Care से एक पत्र मिलेगा।

आपका पत्र आपको यह बताएगा कि क्या आप होम केयर पैकेज के लिए पात्र हैं या नहीं और आप इसके लिए किस स्तर पर पात्र हैं।

यदि आपको स्वीकृत किया जाता है तो आपको राष्ट्रीय प्राथमिकता पंक्ति में स्थान दिया जाएगा। होम केयर पैकेज प्राप्त करने से पहले हर किसी को प्रतीक्षा अवधि से गुजरना होगा। पंक्ति में आपका स्थान आपकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा साथ ही देखभाल किए जाने के लिए आपके द्वारा की गई प्रतीक्षा अवधि पर आधारित होता है।

2. होम केयर प्रदाताओं की खोज करें और खर्च का हिसाब लगाएँ

जब आप पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे/रही हों तो आपको होम केयर प्रदाताओं की खोज शुरू कर देनी चाहिए। इसमें उनके द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाएँ और इसके खर्च का पता लगाना शामिल है।

स्थानीय सेवाओं और अनुमानित शुल्क का पता लगाने के लिए:

- www.myagedcare.gov.au देखें और 'Find and set up services' पर जाएँ (बैंगनी रंग के लिंक्स देखें), अथवा
- My Aged Care को **1800 200 422** पर फोन करें और हम आपको फोन पर जानकारी देंगे या डाक से जानकारी भेजेंगे।

आपके लिए मानव सेवा विभाग (Department of Human Services) को **1800 227 475** पर फोन करके उनसे यह पूछना भी आवश्यक होगा कि क्या आपको औपचारिक आय आकलन की आवश्यकता है या नहीं।

3. होम केयर पैकेज नियत किया जाना

आपको My Aged Care से एक पत्र मिलेगा।

आपके पत्र में आपको बताया जाएगा कि आप पंक्ति के शीर्ष पर पहुँच गए/गई हैं।

आपके पास निम्नलिखित कार्य करने के लिए 56 दिनों का समय होगा:

- प्रदाता का चयन करना
- सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सहमत होना और अपने चुने हुए प्रदाता के साथ होम केयर एग्रीमेंट (गृह देखभाल अनुबंध) में प्रवेश करना।

यदि आपको और अधिक समय की ज़रूरत है, तो आप My Aged Care को फोन करके समयसीमा 28 दिन के लिए बढ़ाने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

4. होम केयर एग्रीमेंट में प्रवेश करना और सेवाओं का प्रबंध करना

आपके द्वारा चुने गए प्रदाता के लिए यह ज़रूरी है कि वह आपको एक होम केयर एग्रीमेंट दे और देखभाल योजना तथा बजट तैयार करने के लिए आपके साथ काम करे। आपके प्रदाता को आपको किसी ऐसे शुल्क के बारे में बताना चाहिए जिसका भुगतान करने की आवश्यकता आपको होगी।

आपका होम केयर पैकेज उपभोक्ता कानून के द्वारा सुरक्षित है। एग्रीमेंट में प्रवेश करने से पहले आपको अपने अधिकार समझने चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में किसी से बात करने के लिए, आप www.consumerlaw.gov.au पर अपनी स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण संस्था के संपर्क विवरण खोज सकते/सकती हैं। आप किसी परिजन, मित्र, पक्षसमर्थक या वकील से अपना एग्रीमेंट पढ़ने के लिए भी कह सकते/सकती हैं।

आपके प्रदाता को आपको हस्ताक्षरित एग्रीमेंट की एक प्रति देनी चाहिए।

आप किसी भी समय किसी दूसरे होम केयर प्रदाता से जुड़ सकते/सकती हैं। यदि आप ऐसा करना का चयन करते/करती हैं तो आपके प्रदाता को आपका समर्थन करना चाहिए।

आप अपना एग्रीमेंट समाप्त करने और होम केयर पैकेज सेवाएँ प्राप्त करना बंद करने का चयन कर सकते/सकती हैं।

आप प्रदाता बदलने या प्रदाता को छोड़कर जाने के लिए My Aged Care से **1800 200 422** पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।